अपील सूचना अधिकार संख्या 151/2020 (GCMS 2020/00268) एडवोकेट हरपाल सिंह सुधन पुत्र महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चेम्बर न1. 5ए कचहरी परिसर रायसिंहनगर (48F-443419) बनाम जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2020 के द्वारा एक बिन्दु की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि उसे दिलाने एवं उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2020 को अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

> **आदेश/निर्णय श्रीमान् सहायक कलक्टर राजस्व, रायसिंहनगर दिनांक 12.02.1952 जिसकी रूह से ग्राम 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर का अहाता नम्बर 25 व 30 वास्ते स्कूल आवंटित किया गया की यथासंभव शीघ्र प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाए जाने की कृपा जाए।**

अपीलार्थी के आवेदन पत्र का सम्बन्ध प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 328 दिनांक 01.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्नक आपका प्रार्थना पत्र इस कार्यालय का प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में वर्णित सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान् व पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। जिसके अभाव में आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती ।

अतः आपको लिखा जाता है कि आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर, कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोक कर चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावें तद्नुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार ।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय** है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। अधिवक्ता कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थी को अधिवक्ता होने के कारण सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है फिर भी **अपीलार्थी द्वारा** चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 01.12.2020 से जवाब दिया जा चुका है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर